

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कलनूनी नियम और आदेश)

प्रस्तुति 24क
(नियम 85ख देखिए)

यह प्रस्तुति आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनीतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियम तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

1. राजनीतिक दल का नाम : आजादी का अंतिम आवृद्धोलन दल
2. राजनीतिक दल की प्रास्तुति
(मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त) : अमान्यपत्राप्राप्त
3. राजनीतिक दल के मुख्यालय का पता : ७८० आई० ८०, डी० २७, बैलोन्डनगढ़ २ रायपुर (छ)
4. निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दल के रजिस्ट्रीकरण की तारीख : ०१-०२-२०१३
5. स्थायी खाता सं. (पैन) और वह आय-कर वार्ड/
सर्किल जहां राजनीतिक दल की विवरणी फाइल
की जानी है..... A.D.A.A.1515A - वार्ड 1 (१) रायपुर
6. वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक हैं, यीरे -

क्रम सं.	अभिदायी व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पैन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड/ सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति। (चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

*चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित जाती का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

सत्यापन
मैं, इमरान पाशा (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ मुत्री..... सत्यापन से घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रस्तुति में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं, ऊपर नामित राजनीतिक दल की ओर से अंतिम प्रस्तुति को सत्यापित कर रहा हूँ और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूँ।

तारीख : 28-09-2018
स्थान : रायपुर (छ.ग.)

अंतिम प्रस्तुति
(कोमाल्कश/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)
इमरान पाशा
अध्यक्ष
आजादी का अंतिम आवृद्धोलन दल
मुख्यालय रायपुर (छ.ग.)